

बिहार सरकार
परिवहन निभाग

सं०-05स्था-95/2010 (खंड)

पटना, दिनांक

अधिसूचना

श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के दायित्वों के निर्वहन हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

2. श्री वर्णवाल सप्ताह में कम से कम तीन दिन जिला परिवहन कार्यालय जहानाबाद का कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक

710

पटना, दिनांक-28/2/2013

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा० निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, गया एवं पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद एवं पटना/श्री हरेन्द्र राम, वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद/श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया एवं पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई.टी.मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग एवं स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अ-सचिव
28/2/13
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।